

TS No- 236
3/3/25

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-1/प्र0-04-63/2025 357-374

पटना, दिनांक-03/03/25

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के अव्यव
के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत Daniyawar To Jeevanchak
Bhaya Kazibigha Tak Path का माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की प्रगति यात्रा को लेकर जिला
पदाधिकारी, पटना का पत्रांक 1286/गो0, दिनांक 30.01.2025 के आलोक में विभागीय रूप से कराये गये
कार्य का घटनोत्तर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 272 अनु0 दिनांक 27.02.2025

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अदद पथ के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति
प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की
राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन
की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल / पुलिया स्थल के आवश्यकता के
अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षक अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं
तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, पटना ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर
केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली
बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की
मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह
स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के
कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा ववैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों
स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करना
सुनिश्चित करेंगे तदनुसार अधीक्षक अभियंता कोटेशन अनुमोदित करने का कार्यवाई करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के अव्यव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत विभागीय रूप से कराए जाने वाले कार्य का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजना की सूची:-

क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (मूल कार्य, अनुरक्षण कार्य एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Daniawan, Daniawan To Jeevanchak Bhaya Kazibigha Tak Path	3.850	Letter NO- 373 Date- 14.02.25	394.713	247.959

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-1

ज्ञापक:- 357-312

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक:- 03/03/25-

मुख्य अभियंता-1

शौचना का नाम परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 08 के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृति: परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 08 के अनुसार।

नियम

1. प्राथमिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 08 में उचित राशि पर उचित की गई है। शौचना की कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्राथमिक की राशि से अधिक नहीं होगी।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरी की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षेप और प्रतीकपूर्ण मान है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विवरण तैयार करते समय पूर्ण विशिष्ट लिखी जाये ताकि कार्य के दौरान कोई विरोधाभास नहीं हो।
5. कार्यान्वयन करने से पहले अधीक्षण अभियंता, मागीन कार्य विभाग, कार्य अंचल, महत्वा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं सह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अप्रमाणित जमीन आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके विरुद्ध/विस्तृत आश्चयन की आवश्यकता समझते हो तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्राथमिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत शौचना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिरोक्शन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आडोकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आडोकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अयोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्ट के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाधी एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुपालन किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, वैडिथिंग Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता समायियों की दुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्चर्य हो लेंगे, तत्पश्चात ही अयोग्य कार्यवाई करेंगे।
16. उक्त मद में बिहार लेखा संहिता में निहित प्राक्कलन के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीघ्र मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत के रूप में मागीन सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रमयोजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का पालन न हो।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की दुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
31. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैंरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगे तदनुसार अधीक्षण अभियंता कोटेशन अनुमोदित करने का कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

7/4
03/03/25

मुख्य अभियंता-1,